1591
06/05/2026

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित 2026)

विषयः—झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 06 कुल अधिकतम 50 (पचास) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित चयनित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स (Course) में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 01 (एक) वर्षीय मास्टर्स (Masters) हेतु छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

1. यह योजना मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित 2026) कहलाएगी।
2. राज्य बनने के बाद भी झारखण्डवासियों को अपनी प्रतिभा निखारने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं। इसका मुख्य कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सीमित अवसर का होना है। ऐसे में झारखण्ड के युवाओं को झारखण्ड एवं देश के निर्माण में भूमिका के अवसर प्रदान करने हेतु मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित की जायेगी। इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 06 यथा कुल अधिकतम 50 (पचास) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 01 (एक) वर्षीय मास्टर्स (Masters) Full Degree Program ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
3. इस योजना का विस्तार केवल निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों एवं विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित होगा। वर्त्तमान में योजना को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) में अवस्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए प्रारम्भ किया जायेगा। भविष्य में अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा एवं अन्य देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्थानों हेतु भी इसे विस्तारित किया जा सकेगा।

4. इस योजना अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) के निम्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता का लाभ दिया जायेगाः–

- University of Oxford
    - University of Cambridge
    - Imperial College London
    - University CollegeLondon
    - London School of Economics and Political Science
    - University of Edinburg
    - King's College London
    - SOASUniversity of London
    - University of Manchester
    - University of Bristol
    - University of Warwick
    - University of Reading
    - University of Sussex
    - Bournemouth University
    - Loughborough University
    - University of Glasgow
    - University of Leeds
    - University of Westminster
    - Queen Mary University of London
    - University of Birmingham

पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त के अतिरिक्त अद्यतन QS Global Ranking, के शीर्ष 1000 रैकिंग के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में ही दाखिला दिया जएगा।

5. योजना अन्तर्गत निम्न विषयों/Themes में छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगीः–

क्रं०सं०	विषय
1	Anthropology/Sociology
2	Agriculture
3	Arts and Culture/ Heritage Conservation/Creative Economy etc.
4	Climate Change/ Climate Sustainability etc.
5	Development Studies & Allied such as Governance & Development, etc
6	Economics
7	Education
8	Environmental Science/Studies
9	Forest Conservation & Ecology

10	Global Peace, Security and Governance
11	International Relations/Political Science/International Economy etc.
12	Law & Human Rights
13	Media & Communication
14	Public Administration
15	Public Health and Economics/Health Policy
16	Public Policy
17	Science and Innovation
18	Sports Medicine, Sports Management and Allied Sciences
19	Tourism & Hospitality
20	Sustainable Development/Innovation/Entrepreneurship and Finance etc.
21	Urban and Regional Planning
22	Women's Studies/Gender Studies
23	Engineering and Technology
24	Data Sciences and Machine Learning
25	Management Studies
26	Finance
27	Water Studies
28	Pharmacology and Pharmacy Studies
23	Energy Studies
30	Conflict Studies
31	Migration and Refugee Studies
32	Clean Technologies (Energy Systems and Low Carbon Engineering, Cleaner industrial process and advanced process Engineering, Clean and Sustainable materials, Nuclear and Energy Transition infrastructure etc.)
33	Materials and critical metals/ Energy materials and critical Technology etc.
34	Food Safety, Hygiene and management
35	Supply Chain Management
36	Sustainable Energy Engineering/ Systems, Global Energy Technology and System
37	Data Science and Artificial Intelligence
38	R&D and Innovation
39	Literature and Languages/linguistics, Translations

6. इस योजना अन्तर्गत निर्धारित छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम/शोध के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 01 (एक) वर्षीय Masters/M.Research/ M.Phil/ MBA के लिए प्रदान की जाएगी।

7. **छात्रवृत्ति के लिए पात्रताः–**

   a. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

(i) **स्नातकोत्तर (Masters)/(M.Phil) डिग्री के लिए**– स्नातक की डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।

(ii) **अनुभव**– 2 वर्ष–संबंधित विषय में शिक्षण कार्य/प्रोफेशनल कार्य अनिवार्य है।

b. विदेश से मास्टर्स (Masters) की डिग्री प्राप्त करने वाले आवेदक पुनः उसी स्तर के पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। साथ ही भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार विदेश से पारदेशीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

c. **आयु सीमाः**– इस योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले छात्र–छात्राओं की उम्र प्रासांगिक वर्ष की 1 अप्रैल को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

d. **स्थानीयताः**– आवेदक को झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए और इसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

e. **अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का अनुमान्य साक्ष्यः**– आवेदन के साथ आवेदक द्वारा **अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग** आवेदक के आवास क्षेत्र के संबंधित सक्षम पदाधिकारी निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक के द्वारा जाति से संबंधित स्व–अभिप्रमाणित घोशणा–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

f. **आय सीमाः**– इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक, आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की सम्पूर्ण पारिवारिक आय रू० 12,00,000/– (बारह लाख रुपए) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

g. एक ही माता–पिता/अभिभावकों के एक से अधिक बच्चे योजना के पात्र नहीं होंगे।

h. इस योजना का लाभ किसी भी छात्र/छात्रा को किसी भी पाठ्यक्रम विशेष के लिए मात्र एक ही बार देय होगा।

i. इस योजना अंतर्गत सांसद, भारत सरकार के मंत्री, राज्य के विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे आच्छादित नहीं किये जायेंगे।

8. **छात्रवृत्ति का मूल्यः**–

(i) **शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)**:– वास्तविक शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(ii) **वार्षिक अनुरक्षण भत्ता** (Annual Maintenance Allowance)– इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण भत्ता योजना के

अन्तर्गत आने वाले सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए लंदन में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों हेतु पाउंड स्टर्लिंग 20,000/– (बीस हजार पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) तथा लंदन को छोड़कर United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland के अन्य जगहों में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों हेतु 16,500/– (सोलह हजार पाँच सौ पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) देय होगा।

(iii) **वार्षिक आकस्मिकता भत्ता (Annual Contingency)**:– पुस्तकों/अध्ययन दौरे/टाइपिंग और थीसिस के बंधन आदि के लिए वार्षिक आकस्मिकता भत्ता United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में छात्र/छात्राओं के लिए पाउंड स्टर्लिंग 1,000/– (एक हजार पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) देय होगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(iv) **वीजा शुल्क (Visa Fees)**:–वीजा शुल्क हेतु वास्तविक राशि का भुगतान भारतीय रुपए में किया जायेगा। भुगतान हेतु आवेदन के साथ प्राप्त वीजा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। वीजा शुल्क का भुगतान सामान्य दर पर ही किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार Priority/Super Priority Visa etc. का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(v) **हवाई यात्रा खर्च (Cost of Air Passage)**:– भारत से अध्ययन स्थल के निकटतम स्थान तक वायु मार्ग से जाने एवं पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त वापस आने हेतु Economy Class के वास्तविक व्यय के अनुरूप राशि का भुगतान भारतीय रूपये में किया जायेगा।

(vi) **स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम (Medical Insurance Premium/Immigration Health Surcharge)**:–स्वास्थ्य बीमा का देय प्रीमियम (Medical Insurance Premium/Immigration Health Surcharge) की वास्तविक राशि का भुगतान भारतीय रूपये में किया जायेगा।

(vii) **यात्रा खर्च (Journey Expenses)**:– भारत से अध्ययन स्थल हेतु जाने और अध्ययन समाप्ति के उपरान्त वापस आने के लिए कुल पाउंड स्टर्लिंग 200 (दो सौ पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) की राशि यात्रा दौरान खर्च के रूप में दी जाएगी।

(viii) **स्थानीय यात्रा (Local Travel)**:–आवश्यकता अनुसार अध्ययन हेतु स्थानीय यात्रा करने के लिए रेलवे के AC-IITier अथवा Bus/AC Bus/Taxi से यात्रा करने पर वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।

नोटः–वीजा में अंकित वीजा समाप्ति की तिथि के उपरान्त व्यय की गई किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. **योजना का क्रियान्वयन**:–झारखण्ड सरकार, भारत सरकार के सक्षम मंत्रालय से नीतिगत सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही योजना का क्रियान्वयन करेगी।

10. **छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया**:–
    - (i) शिक्षण शुल्क से संबंधित राशि का भुगतान सम्बंधित विश्वविद्यालय/संस्थान को सीधे रूप से भुगतान किया जाएगा। भुगतान हेतु भारत सरकार से झारखण्ड सरकार नीतिगत सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त करेगा।
    - (ii) शिक्षण शुल्क को छोड़ कर छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य सभी राशि यथा वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता, वीजा शुल्क, हवाई यात्रा खर्च,Immigration Health Surcharge,यात्रा खर्च, आदि चयनित छात्र/छात्रा के AD category II बैंक में खोले गए बैंक खाता में DBT के माध्यम से भुगतेय होगा।

11. **गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने पर**:– यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना अथवा प्रमाण–पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने की बात प्रमाणित होती है तो ऐसे आवेदक को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा और यदि उसने लाभ उठा लिया है तो ऐसे आवेदक से 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि की वसूली की जायेगी।

12. **बन्ध–पत्र (Bond Paper)**:– छात्रवृत्ति आवेदन के साथ आवेदक को निम्न बन्ध पत्र (Bond) देना होगा कि यदि विदेश में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के मान्य नियमों के शर्तों का उल्लंघन करता है और संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा इसकी सूचना संबंधित भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराई जाती है अथवा आवेदक द्वारा अध्ययन की निर्धारित अवधि के मध्य ही अध्ययन छोड़ दिया जाता है **अथवा** अध्ययन छोड़कर वापस बिना सूचना के भारत आ जाता है अथवा किसी अन्य संकाय या विषय में प्रवेश ले लिया जाता है **अथवा** आवेदक संबंधित देश के नियमों का उल्लंघन करता है **अथवा** अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे Defaulter घोषित किया जायेगा तथा उसकी छात्रवृत्ति निरस्त करते हुए सम्पूर्ण राशि की वसूली 12% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से छः माह के अंदर वसूल की जायेगी।

13. **आवेदकों का प्राथमिकीकरण**:– इस योजनान्तर्गत सर्वप्रथम प्राथमिकता उन छात्र/छात्राओं को दी जायेगी जिन्हें योजना अन्तर्गत चिन्हित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नामांकन हेतु Offer Letter प्राप्त हो चुका हो।

14. **आवेदकों का चयन**:– इस योजना अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले आवेदकों का चयन निम्न प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा:–
    - प्रत्येक वर्ष इस हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विभाग द्वारा संधारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इसी पोर्टल के माध्यम

से आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को समय–समय पर उनके आवेदन का प्रगति अद्यतन (Progress Update) भी दिया जाएगा।

- प्राप्त आवेदनों की जाँच हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति के समक्ष सभी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(i) योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी – सदस्य।

(ii) उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग, संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी – सदस्य।

- समिति द्वारा चयनित आवेदको के आवेदनों की जांच करते हुए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स (Shortlisted Candidates) को आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विषय आधारित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। विषय आधारित साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा, जिस पर विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर 50 (पचास) सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
- छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। छात्राओं की सीट रिक्त रहने की स्थिति में ही छात्रों से सीट को भरा जाएगा।

15. **अन्य अनिवार्य शर्तेः–**

(i) अंतिम रूप से चयनित छात्र/छात्रा को चयन की तिथि से उसी शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) के भीतर विदेश में योजना अन्तर्गत चिन्हित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(ii) चयनित छात्र/छात्रा द्वारा नोटरी पब्लिक के समक्ष, 02 (दो) जमानतदारों के समक्ष रू० 1,000 (एक हजार रुपए) के Non-Judicial Stamp में Clause 12 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बंध पत्र (Bond) निष्पादित किया जायेगा। बंध पत्र (Bond) का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(iii) संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि तक रूकने की अनुमान्यता नहीं होगी।

(iv) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अध्ययन की अवधि में छात्र/छात्रा अपने अध्ययन क्षेत्र/विषय को परिवर्तित (Change) नहीं कर सकेंगे।

(v) चयनित आवेदक को राज्य सरकार के साथ रिकॉर्ड रिलीज कंसेंट फॉर्म (Record Release Consent Form) हस्ताक्षरित करने हेतु एक और बंध पत्र देना होगा। इस बंध पत्र का प्रारूप राज्य सरकार के द्वारा तय किया जायेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा चयनित आवेदक को वीजा प्राप्त करने हेतु वीजा शुल्क छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जायेगी। चयनित आवेदक को स्वयं ही विदेश में अध्ययन हेतु वीजा प्राप्त करना होगा।

16. इस योजना हेतु उपबंधित राशि में से 5 प्रतिशत राशि का कर्णांकण प्रशासनिक व्यय हेतु किया जायेगा। इस राशि का व्यय योजना के प्रचार–प्रसार, अनुश्रवण, पी०एम०यु० गठन इत्यादि पर किया जायेगा।

17. इस योजना पर कुल अनुमानित व्यय प्रति वर्ष रू० 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपए) होगा।

18. न्यायालय परिक्षेत्रः– किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची होगा।

19. संशोधित योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 से प्रभावी होगी।

20. विभाग के संकल्प संख्या–2724 दिनांक–18.12.2020, संकल्प संख्या–1585 दिनांक–03.06.2022, संकल्प संख्या–3651, दिनांक–07.11.2025 एवं संकल्प संख्या–02, दिनांक–01.01.2026 को इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

21. योजना पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागीय संलेख ज्ञापांक–1488, दिनांक–28.04.2026 के क्रम में दिनांक–28.04.2026 की बैठक के मद संख्या–15 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03 / छात्रवृत्ति(पारदेशीय छात्रवृत्ति)–03 / 2020-1591 राँची, दिनांकः–06.05.2026

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप निदेशक कल्याण / सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03 / छात्रवृत्ति(पारदेशीय छात्रवृत्ति)–03 / 2020-1591 राँची, दिनांकः–06/05/2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।